तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/4283/2004/नागौर कांतिचन्द बनाम भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.9.19	**खण्डपीठ** **श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री यज्ञदत्त शर्मा, श्री रामसुख चौधरी व राजेन्द्र कुमार माथुर अधिवक्तागण अपीलांटस श्री डूंगर सिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 **<u>निर्णय</u>** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–09–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी ख0न01213 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा अपीलार्थी/वादी के कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर रेस्पो0/प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करना चाहता है। इसलिए उसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.03 से वाद वादी/अपीलार्थी स्वीकार कर डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पो0/प्रतिवादी ने अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 06.09. 2004 से स्वीकार कर प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील में सुनी गयी ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/4283/2004/नागौर कांतिचन्द बनाम भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 23 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। अपीलीय न्यायालय के समक्ष समुचित दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य उपलब्ध थे जिसके आधार पर वह स्वयं ही प्रकरण का निस्तारण कर सकते थे परन्तु उन्होनें प्रकरण विधि विरूद्ध तरीके से विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पर अपीलीय न्यायालय यदि विचारण न्यायालय की डिक्री को निरस्त करता है तो उसको प्रत्येक विवाद्यक उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन करते हुये निर्णय पारित करना चाहिए था। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने यह माना कि रिसीवर ने जो कब्जा दिया वह 1 बीघा 9.8 बिस्वा भूमि होती है लेकिन कब्जा कितना किया गया यह रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है तथा अपीलांट/वादी विवादित आराजी का रिकार्डड खातेदार है तथा उसका कब्जा भी सम्पूर्ण 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर है इसलिए अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि पर वादी का कब्जा बिना किसी विश्वसनीय सबूत के माना है जो विधि विरूद्ध है। पी0डब्ल्यू-3 से यह साबित होता है कि दावा करने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/4283/2004/नागौर कांतिचन्द बनाम भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से पूर्व कब्जा प्रतिवादी का था। अपीलांट/वादी ने कब्जा साबित नहीं किया। अपीलांट/वादी द्वारा कब्जा साबित नहीं करने के कारण धारा 188 काश्तकारी अधिनियम के तहत उसके पक्ष में डिक्री पारित नहीं की जा सकती परन्तु विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से उसके पक्ष में डिक्री पारित कर दी। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि दावे के निस्तारण के लिए एक मात्र उपाय नाप था जो नहीं करवायी गयी है तथा नक्शा भी गलत पेश किया गया है। तहसीलदार के आदेश पर पटवारी द्वारा नाप किया गया। जिसके आधार पर कब्जा रेस्पो0/प्रतिवादी का बताया गया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने सिविल न्यायालय में चल रहे प्रकरण व नगरपालिका द्वारा जारी किये गये पटटे के बारे में भी अपने निर्णय में उसका उल्लेख ही नहीं किया जो आवश्यक था। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को सही व विधिसंगत बताते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली, मूल वादपत्र एवं राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियां के संदर्भ में सिविल न्यायालय में चले प्रकरण के निर्णय और नगरपालिका से जारी किये गये पटटे की इस प्रकरण में समुचित संवद्धता और विधिसंगता का अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई विवेचन करते हुये किसी समुचित निष्कर्ष पर नही पहुॅचा गया है जो पूर्णतया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/4283/2004/नागौर कांतिचन्द बनाम भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपेक्षित था। अतः उक्त बिन्दु पर पूर्ण परीक्षण व विवेचन किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुये पारित किया गया है यद्यपि अपीलीय न्यायालय ने अपना निर्णय परीक्षण न्यायालय के विपरीत पारित किया है परन्तु उनके द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का तनकीवार/बिन्दुवार न तो परीक्षण किया गया है और न ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। इस स्थिति में आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित होता है जो महत्वपूर्ण विधिक त्रुटि की श्रेणी में आता है।

परिणामतः न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.9.04 अपास्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के रिमाण्ड किया जाता है कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का पुनः विधिसंगत निर्णय पारित करे।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/4283/2004/नागौर कांतिचन्द बनाम भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए